मध्य प्रदेश को लेवी-चीनी की आपूर्ति

742. **श्री राघवजी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लेवी चीनी की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह शिकायत भी की है कि उन्हें आबंटित चीनी कोटा को उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है जिससे कोटा रद्द हो जाता है, और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है और 1994 के वर्ष में अब तक प्रत्येक माह चीनी की कुल कितनी मात्रा का आबंटन किया गया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 की आबादी के आधार पर राज्य को लेवी चीनी के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। लेवी चीनी की उपलब्धता में बाधाओं के कारण मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है ।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, को लेवी चीनी के आबंटन का निर्मुक्ति आर्डर आमतौर पर 45 दिन पहले जारी कर दिया जाता है, ताकि राज्य सरकारें उपभोक्ताओं में वितरण के लिए चीनी मिलों से चीनी के आबंटित कोटे को उठाने का प्रबंध कर सकें। लेवी चीनी के कोटे को वैधता अवधि को केन्द्रीय सरकार को अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्यतया बढ़ा दिया जाता है । मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर कुछ महीनों में वैधता अवधि को बढ़ा दिया गया था ।

(घ) 1991 की आबादी के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल आबादी 661.81 लाख है । अप्रैल, 1994 से मध्य प्रदेश राज्य का लेवी चीनी का सामान्य मासिक कोटा 25031 मी० टन है । राज्य सरकार को अगस्त, 1991 से मार्च, 1994 तक 1252 मी० टन प्रति महीने की दर से लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि दी गई थी । तदर्थ वृद्धि को अप्रैल, 1994 से वापिस ले लिया गया है ।

सुपर बाजार में शिकायत दर्ज कराने संबंधी सुविधाएं

743. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 2 मई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5223 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार द्वारा शिकायतें दर्ज किए जाने की कोई प्रणाली आरंभ की गई है और क्या ऐसी कोई प्रणाली नियंत्रण-कक्ष में भी विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण-कक्ष में दर्ज की गई शिकायतों का वर्ष-वार शिकायत-वार ब्यौरा क्या है ; और क्या शिकायतों की पावती भेजी जाती है और शिकायतकर्ताओं को की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि नियंत्रण-कक्ष में तैनात कर्मचारी उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने से मना करते हैं और